न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0ओ0), जालोर

पीठासीन अधिकारी :- श्री चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस.

म्यूटेशन अपील सं0 :- 06/2019
RCMS Id- 2019/00089

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अजाराम पुत्र फुलीया कौम भील साकिन रतनपुरा तहसील आहोर जिला जालोर		1. भंवरलाल पुत्र फुलीया 2. मेहनलाल पुत्र फुलीया 3. कमला पुत्री फुलीया 4. शान्ति पुत्री फुलीया 5. बदीया पुत्री फुलीया कौम भील साकिन रतनपुरा तहसील आहोर जिला जालोर 6. सरपंच ग्राम पंचायत भागली सिंधलान पंचायत समिति जालोर

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरकरण सं0 469 दिनांक 20.11.2006 जो सरपंच ग्राम पंचायत भागली सिंधलान पंचायत समिति जालोर

उपस्थिति अधिवक्ता -

1. श्री सुरेन्द्र दवे (अपीलान्ट)
2. श्री इमरान अली (रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4)
3. श्री धर्मवीरसिंह चम्पावत (रेस्पोडेन्ट सं0 5)
4. रेस्पोडेन्ट सं0 6 गैर हाजिर

निर्णय

दिनांक :- 23/12/19

अपीलान्ट की अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा भागली सिंधलान में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 तक के पिता फुलीया वल्द नरसीया कौम भील साकिन रतनपुरा तहसील आहोर की खातेदारी भूमि जिसके वर्तमान ख0नं0 270 आई हुई है। फुलाराम पुत्र नरसाजी कौम भील जो अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 के पिता है। जिनकी मृत्यु दिनांक 21.05.1999 को हुई। फौतगी नामान्तरकरण भरने बाबत ग्राम पंचायत सांकरणा का दिनांक 02.06.2006 का उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र संलग्न कर अपीलान्ट का नाम सांवलाराम पुत्र फुलीया लिखा दिया जबकि उक्त वक्त अपीलान्ट बालिग का उसके हस्ताक्षर भी नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र जो रेस्पोडेन्ट 3 कमला ने दिया था, उस पर नही करवाये न ही अपीलान्ट को बताया था कि उसका नाम सांवलाराम दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया है। अपीलान्ट अजाराम का लाड प्यार का नाम सांवलाराम था जबकि वास्तविक नाम अजाराम था। इस प्रकार अपीलाधीन म्यूटेशन स्वीकृत करते वक्त पटवारी हल्का द्वारा पूर्ण रूप से जांच नही की गई एवं अपीलान्ट अजाराम के नाम जो प्यार से घर में सांवलाराम कहते थे उसी नाम से म्यूटेशन भर दिया तथा रेस्पोडेन्ट सं0 6 ग्राम पंचायत भागली सिंधलान ने उसे स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण सं0 469 दिनांक 20.11.2006 की जानकारी अपीलान्ट को कभी नही रही क्योंकि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के पश्चात नामान्तरकरण हेतु प्रार्थना पत्र अपीलान्ट की बहन रेस्पोडेन्ट सं0 3 कमला द्वारा पेश किया था। पटवारी हल्का अपीलाधीन म्यूटेशन भरते समय स्वर्गीय फुलीया वल्द नरसाजी के वारिसानों के नाम की बारीकी की जांच नही कर म्यूटेशन भरकर स्वीकृत करवाया अपीलान्ट ने अपने नाम से अपनी जमाबंदी की नकले चाही परन्तु अजाराम नाम से भागली सिंधलान में जमीन नही होने के कारण नकल नही मिली। तब अपीलान्ट ने अपने सह खातेदार भीमा खंगारा, लच्छा खंगारा आदि के नाम की जमाबंदी दिनांक 15.07.2019 को कम्प्यूटर से नकले मांगी क्योंकि उसे ऋण की आवश्यकता थी। अपीलान्ट को अपनी खातेदारी आराजी जिसके वर्तमान ख0नं0 270 के बंटवाडा के ख0नं0 1930/270 व 31/270 में अपीलान्ट

उपखण्ड अधिकारी
जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

का नाम दर्ज होने का ज्ञान हुआ तथा बंटवाडा भागली केम्प में हो गया था। उस वक्त अपीलान्ट को बुलाकर उसके हस्ताक्षर केम्प अधिकारी ने अवश्य करवाये। उक्त जमाबंदी की प्रमाणित प्रति व म्यूटेशन सं0 469 दिनांक 20.11.2006 की नकले प्राप्त कर अपीलान्ट ने अपील के साथ पेश की है। अपील अन्दर म्याद है। म्याद हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 469 दिनांक 20.11.2006 को खारीज करवाते हुए अपीलान्ट को नाम म्यूटेशन में सांवलाराम दर्ज किया गया है। उसके स्थान पर अजाराम दर्ज कर शेष यथावत रखा जाने हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत राजस्व म्यूटेशन अपील पेश की है।

म्यूटेशन अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 तक का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। रेस्पोडेन्ट सं0 6 का जवाब पेश नही होने से जवाब बंद किया जाता है।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 5 की ओर से अपील में जवाब पेश कर बताया है कि उक्त नामान्तरकरण सं0 469 दिनांक 20.11.2006 में सांवलाराम के स्थान पर अजाराम का नाम दर्ज किया जाना न्याय संगत होगा। क्योंकि अपीलान्ट सांवलाराम का यह नाम प्यार का नाम था। वास्तविक नाम अजाराम है तो तमाम दस्तावेजों में भी अजाराम दर्ज है।

बहस अभिभाषक की सुनी गई। मूल पत्रावली का पुख्ता अध्ययन व अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजों के आधार पर खातेदार फुलीया वल्द नरसाजी कौम भील फौत होने पर उनके स्थान पर सांवलाराम वल्द फुलीया व अन्य वारिसान का फौतगी उतराधिकारी का नामान्तरकरण खोलकर नामान्तरकरण सं0 469 दिनांक 20.11.2006 सरपंच ग्राम पंचायत भागली सिंधलान ने स्वीकृत किया गया। चूंकि नामान्तरकरण सं0 469 स्वीकृत करते समय अपीलान्ट का वास्तविक नाम अजाराम के स्थान पर सांवलाराम बताने में कानूनी व वाक्याती भारी भूल की है। अतः उक्त नामान्तरकरण काबिल खारिज योग्य है। जो अपील जानकारी की तारीख से अन्दर म्याद है। वैसे भी उक्त गलत दर्ज नामान्तरकरण भरा हुआ होने से उसमें म्याद का प्रश्न उत्पन्न नही होता फिर भी धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र दिये कन्दोज हेतु अलग से पेश है। अपीलान्ट नामान्तरकरण पारित किये जाने से अदालत ग्राम पंचायत भागली सिंधलान ने स्व0 फुलीया वल्द नरसाजी के कायम मुकाम (वारिसान) के नाम की जांच किये बिना ही अपीलाधीन नामान्तरकरण को गलत ढंग से पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। जिसे निरस्त किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील अन्दर म्याद शुमार कर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं0 469 दिनांक 20.11.2006 ग्राम पंचायत भागली सिंधलान को खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार जालोर को इस निर्देश के साथ प्रति पेश किया जाता है कि वे स्व0 फुलीया वल्द नरसाजी कौम भील के कायम मुकाम (व) अपीलान्ट अजाराम के नाम की शख्तियत की पुख्ता जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण पारित करने के आदेश दिये जाते है। शेष कायम मुकाम पुर्व नामान्तरकर० अनुसार यथावत रखे जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23/12/19 को सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
(एसडीओ) जालोर

उपखण्ड अधिकारी
जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Champalal Jeengar
Date: 2020.03.02 12:50:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: